निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 कार्तिक 1944 (श0)

(सं0 पटना 919) पटना, मंगलवार, 1 नवम्बर 2022

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

26 अक्तूबर 2022

सं० : Exp-21/2020/(खंड–127) राजापाकर(अ.जा.)–203—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या– 76/बिहार–वि.स./2020/127/सी.ई.एम.एस.–III दिनांक 03.10.2022 से एतद्द्वारा घोषित किया गया है कि बिहार राज्य के **127–राजापाकर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्रीमती सविता देवी, निवासी–ग्राम–नयागाँव, पो.–नयागंज, थाना–देसरी, जिला– वैशाली, पिन–844506,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव–सह–
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001/ दिनांक 03 अक्टूबर, 2022/11 आश्विन, 1944 (शक)

सं. **76/बिहार–वि.स./2020/127/सी.ई.एम.एस.–**।।।—**यतः,** भारत निर्वाचन आयोग की दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की प्रेस नोट सं. ईसीआई/पी०.एन०. /64/2020 के अनुसरण में **127–राजापाकर(अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बिहार विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2020 आयोजित किया गया था; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी भी निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखे जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करवाएगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः, बिहार के **127–राजापाकर(अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन, 2020 का परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 10 नवंबर, 2020 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 10 दिसम्बर, 2020 थी; और

यतः, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, के पत्रांक EXP.–21/2020(खण्ड–127)राजापाकर(अ.जा.)–22, दिनांक 04.01.2021 के तहत उनसे प्राप्त **जिला निर्वाचन अधिकारी, वैशाली** की निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत रिपोर्ट दिनांक 16.12.2020 के अनुसार, **श्रीमती सविता देवी,** जो बिहार के **127–राजापाकर(अ.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (1) के तहत, विधि के अंतर्गत यथा अपेक्षित निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय के लेखे प्रस्तुत नहीं करने के लिए **श्रीमती सविता देवी** को कारण बताओ नोटिस सं. 76/बिहार.वि.स/2020/127/सीईएमएस–III, दिनांक 25 जून, 2021 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप–नियम (6) के अंतर्गत, **श्रीमती सविता देवी** को लेखे दाखिल नहीं करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, **वैशाली** को लेखा प्रस्तुत करने का भी निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **वैशाली** ने अपने पत्र स. 814 दिनांक 29.11.2021 से बताया है कि उक्त नोटिस श्रीमती सविता देवी द्वारा 16.09.2021 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, **वैशाली** ने आगे अपनी अनुपूरक रिपोर्ट सं. 814 दिनांक 29.11.2021 में यह कहा है कि **श्रीमती सविता देवी** ने न तो कोई इस संबंध में स्पष्टीकरण दिया न ही निर्वाचन व्ययों के सही लेखे का कोई विवरण प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नोटिस के उत्तर में **श्रीमती सविता देवी** ने विधि के तहत यथा निर्धारित लेखा दाखिल करने में असफल रहने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह उपबंधित किया गया है कि:–

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है,

तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।";

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्रीमती सविता देवी**, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने में असफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि **बिहार के 127–राजापाकर(अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, 2020** से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी **श्रीमती सविता देवी, निवासी– ग्राम–नयागाँव, पो.–नयागंज, थाना–देसरी, जिला–वैशाली, पिन–844506,** इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य–क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होंगे।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001—Dated 03 **October, 2022**/11th Ashwin, 1944 (Saka)

No-76/BR-LA/2020/127/CEMS-III--**WHEREAS,** the General Election to the Legislative Assembly of Bihar, 2020 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/64/2020, dated 25 September, 2020.

AND, WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer;

AND, WHEREAS, the result of the said election along with **127-Rajapakar(SC)** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th November, 2020. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 10th December, 2020;

AND WHEREAS, As per the letter of Chief Electoral Officer, Bihar dated 04/01/2021, vide letter no. Exp-21/2020(Vol.-127)Rajapakar(SC)/22, on the basis of scrutiny report dt. 16.12.2020 submitted by the District Election Officer, **Vaishalli**, Bihar, **Smt. Savita Devi,** a contesting candidate from **127-Rajapakar(SC)** Assembly Constituency of Bihar, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required by law under Rule 89 sub-rule (1).

AND WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer, Vaishalli,** Bihar Show-Cause Notice no. 76/बिहार/वि.स/127/2020/सीईएमएस–III dated 25th June, 2021 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Smt. Savita Devi,** for not lodging the account of Election Expenses;

AND WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, **Smt. Savita Devi** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, District Election Officer, Vaishalli, vide its letter no. 814. dated 29.11.2021 informed to the Commission that the said notice was received by her on 16.09.2021;

AND WHEREAS, the District Election Officer, Vaishalli, in his Supplementary Report, vide its letter No. 814 Dated 29.11.2021 has reported that **Smt. Savita Devi,** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, in the response of notice of the Election Commission of India, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Smt. Savita Devi,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

i. has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

ii. has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, **THEREFORE,** in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Smt. Savita Devi,** resident of **Village- Nayagaav, Post- Nayaganj, Thana- Desri, District- Vaishalli, Pin-844506,** a contesting candidate from 127-Rajapakar(SC) Assembly Constituency during General Election to the Legislative Assembly of Bihar 2020, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
SECRETARY,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 919-571+50-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in